Success Story of Rajasthan Victim Compensation Scheme 2011

Sikar 19.09.2017

दिनांक 19.09.2017 को समाचार–पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई कि सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में संचालित स्कूल के संचालक एवं उसमें कार्यरत अध्यापक द्वारा उस स्कूल में अध्ययनरत छात्रा के साथ काफी लम्बे समय से दुष्कर्म किया जा रहा था। इस खबर पर माननीय न्यायाधिपति, श्रीमान् के. एस. झवेरी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मानवीय रूख अपनाते हुए सदस्य सचिव श्री एस. के. जैन को निर्देशित किया कि वे इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करें।

नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना पर सदस्य सचिव, एस. के. जैन के द्वारा भी अविलम्ब कार्यवाही करते हुए श्री एस. पी. सोनी, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर को निर्देशित किया कि वे तुरन्त एस एम एस, अस्पताल, जहाँ पीडिता घटना के उपरान्त भर्ती थी, में जाकर परिजनों से मुलाकात करें और पीडिता से पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत आवेदन–पत्र भरवाकर उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

श्री सोनी के द्वारा एस एम एस अस्पताल में जाकर पीडिता की कुशल क्षेम ली और उसके परिजनों से पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत आवेदन भरवाकर तुरन्त उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को प्रेषित किया तथा उस आवेदन पर श्री अभय चतुर्वेदी, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के द्वारा बिना कोई देरी किए सभी संबंधितों के साथ मीटिंग आयोजित कर पीडिता के लिए उसी दिन 19.09.2017 को अंतरिम प्रतिकर के रूप में 02.5 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई।

****